



भा. कृ. अनु. प. - केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर/Jodhpur (राजस्थान/Rajasthan)-342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 - 2786584(Dir.)/2786485(CAO)/2785981(AO) FAX: 0291 2788706(Dir.)/2786498(PME)



फाइल संख्या: PA/SrAO/Misc./2021-22

410

Date -06.12.2021

8 DEC 2021

कार्यालय परिपत्र

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के OM. No. F.6/14/2020-PPD दिनांक 11.06.2021 के अनुसार Gem Portal से बाहर कोई भी सामान खरीदने के लिए GEMAR&PTS ID (Gem Availability Report and past Transaction Summary) लगानी होगी | जिसके लिए इन्टरनेट का नहीं चलना या फिर Gem Portal का नहीं चलना दोनों ही कारण अमान्य होंगे | अतिआवश्यक खरीद Gem Portal से बाहर खरीदने से पहले वित्त विभाग व सक्षम अधिकारी निदेशक की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा |

Gem Portal पर उपलब्ध सामान अनिवार्यतः रूप से Gem Portal से खरीदना है | या फिर सामान का indenter Gem पर उपलब्ध सामान के बारे में बताये कि सामान के Specification या तो मेल नहीं खाते हैं या फिर इससे इनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा | जो सामान Gem Portal पर उपलब्ध नहीं है, उसके लिए Gem Portal पर उपलब्ध Custom Bid विकल्प का प्रयोग भी किया जा सकता है |

सभी प्रकार की सर्विस/उत्पाद Gem Portal के माध्यम से ही अनिवार्यतः किया जाये (केवल इमरजेंसी खरीद को छोड़कर) | Gem Portal के माध्यम से सभी प्रकार की निविदा/बिड, निविदा प्रारंभ होने की तारीख से के कम से कम 03 महीने पहले से ही कार्यवाही की जाये ताकि खरीददारी समय पर हो सके |

अतः इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:

1. सभी सामान खरीदने से पहले Gem Portal पर उपलब्धता देखना अनिवार्य होगा | अगर Gem Portal पर सामान उपलब्ध नहीं है तो उस केस में GEMAR&PTS ID (Gem Availability Report and past Transaction Summary) लगानी अनिवार्य होगी |
2. अतिआवश्यक खरीद Gem Portal से बाहर खरीदने से पहले वित्त विभाग व सक्षम अधिकारी निदेशक की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा | जिसके लिए सम्बन्धित Indenter को उचित कारण और स्पष्टीकरण देना होगा |
3. Gem Portal/CPP Portal के माध्यम से सभी प्रकार की निविदा चाहे कोई भी उत्पाद/माल(Goods) हो, ICAR-Cazri मुख्यालय के लिए भंडार विभाग (Admn-4) तथा सेवा सम्बन्धी निविदा प्रशासन पंचम (Admn.V) के द्वारा ही की जाएगी |
4. ICAR endorsement F.No. FIN/22/1/2016-CDN (A&A) dated 30th Sep. 2021 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे | इस परिपत्र के निर्देश (purchase of goods without quotation) जब सामान जेम पर उपलब्ध नहीं है तो ही लागू होंगे |
5. सभी प्रकार के CAPITAL ITEM केवल भंडार विभाग द्वारा खरीदे जायेंगे |

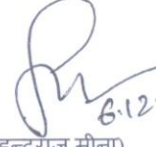
Divisions/KVKs के क्रमों के अनुसार निम्नलिखित पर उपलब्ध/उपलब्ध कर रहे हैं

जा सकता है, ताकि उनकी आवश्यकता के अनुसार सामान खरीदा जा सके।

7. GFR-2017 और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

8. कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा।

यह आदेश निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किया जा रहा है।


6.12.2021

(इन्द्रराज मीना)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-II

वितरण:

1. All Heads of Division (I, II, III, IV, V & VI) with request to circulate the same to all officers/officials of respective Divisions
2. CFAO/FAO/AFAO
3. AAOs (Admn. I, II, III, IV, V)
4. All Incharge Regional Station/KVKs (Pali/Jaisalmer/Bikaner/Bhuj/Leh)
5. Incharge, AKMU for uploading the circular on website/intranet
6. PS to Director/PS to Sr.AO, ICAR-CAZRI, Jodhpur
7. Notice Board

Upload it on website
By 09/12/21